# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–358/2025

जीसीएमएस नं. :– 2025/462

| प्रार्थीगण :– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| 1. चन्द्राराम पुत्र कानाराम<br>2. जगदीश पुत्र बाबूराम<br>3. बजरंग पुत्र बाबूराम<br>4. रामप्रसाद पुत्र बाबूराम<br>जातियान बावरी निवासीगण सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर। | | 1. गेपरराम पुत्र किशनाराम जाति बावरी निवासीगण सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।<br>2. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर। |

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एलआर एक्ट 1956</u>

दर्ज दिनांक :–08/09/2025

उपस्थित अधिवक्ता
1. मंसूर अली छीपा प्रार्थीगण की ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी संख्या 02

## निर्णय

दिनांक :– 23/04/2026

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सिन्धीपुरा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 1606 रकबा 0.1946 हैक्टेयर स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या नया 407 में प्रार्थीगण के नाम से इन्द्राज है व खसरा संख्या 1607 रकबा 0.7597 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 01 गेपरराम के नाम से खाता संख्या नया 378 पर इन्दाज है। जो वर्तमान में सेटलमेंट के दौरान सर्वे रिसर्वे में हुआ है। वास्तविकता में पुर्व राजस्व रेकर्ड के अनुसार व मौके अनुसार खसरा संख्या 1606 जो की अप्रार्थी गेपरराम के नाम से दर्ज होना चाहिए व खसरा संख्या 1607 प्रार्थीगण के नाम से दर्ज होना चाहिए जो की त्रुटिपूर्ण इन्द्राज है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को उक्त खसरे जो अलग अलग नामो से त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गये जिसे सही करवाने हेतु निवेदन किया तो दोनो ही पक्ष अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड शहर के पास गये तो उन्होने सक्षम न्यायालय से आदेश होने पर ही शुद्धि करने का सुझाव दिया इसलिए प्रार्थीगण के पास उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में खसरा संख्या 1606 सपरिवर्तित हो चुकी है व नगर पालिका से पट्टे जारी हो चुके है व खसरा संख्या 1606 गेपरराम के नाम पुर्व में भी थी जो अब गेपरराम के नाम इन्द्राज की जानी है व खसरा संख्या 1607 प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज की जानी है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ग्राम सिन्धीपुरा पटवार क्षेत्र सिन्धीपुरा तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1606 रकबा 0.1946 हैक्टेयर किस्म बारानी को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से इन्द्राज किया जावें व खसरा संख्या 1607 रकबा 0.7597 हैक्टेयर भूमि को प्रार्थीगण के नाम से इन्द्राज करते हुए प्रार्थीगण चन्द्राराम का 4697/7517 हिस्सा, जगदीश का 940/7517 हिस्सा, बंजरग का 940/7517 हिस्सा, रामप्रसाद का 940/7517 हिस्सा दर्ज करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 को अवसर दिये जाने के बावजूद स्वंय/प्रतिनिधि अनुपस्थित जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम सिन्धीपुरा में निम्न सारणी अनुसार खाता/तरमीम दुरूस्ती की अनुशंषा की गई

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

| खातेदार का नाम वर्तमान प्रविष्टि(अशुद्ध प्रविष्टि) | | | | आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खातेदार का नाम | खाता संख्या | खसरा संख्या | रकबा हैक्टेयर में | खातेदार का नाम | खाता संख्या | खसरा संख्या | रकबा हैक्टेयर में |
| 1. चन्द्राराम पुत्र कानाराम हिस्सा 4697/7517 जाति बावरी सा. देह खातेदार<br>2 जगदीश पुत्र बाबूराम हिस्सा 940/7517 जाति बावरी सा. देह खातेदार<br>3 बजरंग पुत्र बाबूराम हिस्सा 940/7517 जाति बावरी सा. देह खातेदार<br>4 रामप्रसाद पुत्र बाबूराम हिस्सा 940/7517 जाति बावरी सा. देह खातेदार | 407 | 1606 | 0.1946 | गेपरराम पुत्र किशनाराम हिस्सा पूर्ण जाति बावरी सा देह खातेदार | 407 | 1606 | 0.1946 |
| गेपरराम पुत्र किशनाराम हिस्सा पूर्ण जाति बावरी सा देह खातेदार | 378 | 1607 | 0.7597 | 1. चन्द्राराम पुत्र कानाराम हिस्सा 4697/7517 जाति बावरी सा. देह खातेदार<br>2 जगदीश पुत्र बाबूराम हिस्सा 940/7517 जाति बावरी सा. देह खातेदार<br>3 बजरंग पुत्र बाबूराम हिस्सा 940/7517 जाति बावरी सा. देह खातेदार<br>4 रामप्रसाद पुत्र बाबूराम हिस्सा 940/7517 जाति बावरी सा. देह खातेदार | 378 | 1607 | 0.7597 |

हमने विद्वान पक्षकारान् की बहस सुनी, वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दौहराते हुए प्रार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार पीपाड़ शहर की रिपोर्ट अनुसार खाता/तरमी दुरूस्ती का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

## आदेश

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब का अवलोकन एवं पक्षकारान् बहस पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा संख्या 1606 व 1607 के राजस्व नक्शे व रेकर्ड में दुरूस्ती की आवश्यक कार्यवाही कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करे। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त जवाब 1158 दिनांक 12/03/2026 को निर्णय का भाग समझा जावें।

(नेमी राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 23/04/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमी राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर